

प्रार्थना न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर०ए०एस०, उप जिला
लेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई
धोपुर।

मुकदमा नम्बर
145/2021

तारीख रजू
19.1.2021

तारीख निर्णय
१५.2.2021

1. ऋषभदेव पुत्र धमोल जाति मीना निवासी मौहचा का पुरा तहसील वजीरपुर।
 2. राजेश पुत्र धमोल जाति मीना निवासी मौहचा का पुरा तहसील वजीरपुर।
 3. आशा पुत्री धमोल जाति मीना निवासी मौहचा का पुरा तहसील वजीरपुर।
 4. मल्ला पत्नी धमोल जाति मीना निवासी मौहचा का पुरा तहसील वजीरपुर।
- प्रार्थी

बनाम

1. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ग्राम मौहचा का पुरा तहसील वजीरपुर में आराजी खसरा नं० 675 रकवा 0.17 हैक्टर भूमि प्रार्थिया मल्ला एवं पति धमोल जाति मीना निवासी मौहचा का पुरा को राजस्व कैम्प दिनांक 07.6.2002 को आवंटित हुई थी, तभी से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति जाटव दर्ज है। प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास दिनांक 11.02.2013 को हो गया, उनके ऋषभदेव, राजेश पुत्रान एवं आशा पुत्री है। आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जा करते चले आ रहे हैं। राजस्व कैम्प दिनांक 07.6.2002 में प्रस्तुत आवन्टन प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की जाति मीना के बजाय जाटव दर्ज हो गयी, जिस पर कैम्प में भीड भाड होने के कारण ध्यान नहीं दिया गया, तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अन्य प्रपत्र परिवचन(4) तस्दीक (3) में जाति मीना अंकित है एवं पटवारी द्वारा दिये गये कब्जे में भी मीना जाति दर्ज है। यह है कि तस्दीक प्रपत्र 3 में आवन्टी की जाति मीना दर्ज है और इसी प्रपत्र के पिछले हिस्से पर पटवारी निरीक्षक द्वारा आवंटन की सिफारिश किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन में गलती से मीना की बजाय जाति जाटव दर्ज कर दियसा गया है जबकि प्रार्थीगण की जाति मीना है, जाटव नहीं। पटवारी द्वारा दिये गये आवंटन कब्जे में आवंटियों की स्पष्ट जाति मीना दर्ज की गई है और प्रार्थीगण इसी आवंटित भूमि पर काबिज है। ग्राम मौहचा का पुरा में जाटव जाति

ज कोई व्यक्ति आवंटियों के नाम का नहीं है। प्रार्थीगण के नाम ग्राम मौहचा का पुरा में खसरा नं० 678 रकवा 0.11 हैक्टर भूमि है, जिसमें मीना जाति दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र मय आवंटन सम्बंधी दस्तावेज सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीयान को ग्राम मौहचा के पुरा में दिनांक 07.06.2002 को आवंटन भूमि खसरा नं० 675 रकवा 0.17 हैक्टर पर जाटव के बजाय मीना जाति की राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती फरमाई जावे।

प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा आवंटन भूमि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, कार्यालय ग्राम पंचायत मौहचा का प्रमाणपत्र, शपथ पत्र मल्लादेवी, मृत्यु प्रमाण पत्र धमोल मीना की फोटोप्रति, आधारकार्ड मल्लादेवी की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत् 2076-79 खाता संख्या 234 की फोटोप्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 12.2.2021 को अपने पत्र क्रमांक 373 के जरिये मौका रिपोर्ट पटवारी पेश की।


पक्षकार को सुना गया पत्रावली व उसके प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन पत्रावली में प्रपत्र 3 में प्रार्थी के पिता की जाति जाटव दर्ज है जबकि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 4 परिवचन में उसकी जाति मीना दर्ज है तथा जो तस्दीक इबारत दर्ज है उसमें भी प्रार्थी के पिता की जाति मीना दर्ज है, इसी प्रकार मौके पर पटवारी हल्का द्वारा दी गई कब्जा रिपोर्ट में धमोल की जाति मीना दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत मौहचा ने भी धमोल की जाति मीना होना दर्ज किया है प्रार्थीया धमोल की पत्नि ने भी जाति मीना होने बाबत शपथ पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीगण की जाति जाटव के स्थान पर मीना किये जाने का अंकन किया है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 675 रकवा 0.17 हैक्टर ग्राम मौहचा का पुरा तहसील वजीरपुर में प्रार्थीगण के नाम के आगे दर्ज जाति जाटव के स्थान पर "मीना" दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर